

मुख्य समाचार

- देश आज 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को अर्पित करेंगे श्रद्धा-सुमन।
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश- खदानों और खनिज युक्त भूमि पर राज्यों को है कर लगाने का अधिकार। झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों को होगा लाभ।
- झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, सत्ता पक्ष ने बनायी रणनीति तो प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कहा- ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए करेंगे बाध्य।
- झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब।

देश आज 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल युद्ध स्मारक जायेंगे। वे वहां सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह देश के रक्षकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि शिंकुन ला सुरंग परियोजना का काम आज से आरंभ होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खदानों और खनिज युक्त भूमि पर राज्यों को कर लगाने का अधिकार है। नौ जजों की खंडपीठ ने आठ-एक के बहुमत से महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है। अदालत ने फैसले में कहा कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि-50 के अंतर्गत संसद के पास टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है। इसके अनुसार यह राज्यों को खनिज पर टैक्स लगाने की अनुमति देता है। शीर्ष अदालत के फैसले से झारखंड, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों को लाभ होगा।

झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कुल छह कार्यदिवस होंगे। सत्र में अनुपुरक बजट समेत कई विधेयक पारित होंगे। इधर सत्र के सफल संचालन को लेकर स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में भाजपा के विधायक शामिल नहीं हुए। इससे मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना बढ़ गयी है। स्पीकर ने पूर्व से लंबित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, शून्यकाल, सरकारी आश्वासन के उत्तर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया। इधर, सत्ता पक्ष ने कल सीएम आवास में बैठक कर रणनीति बनायी। उधर, प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि सत्ताधारी दल को हरसंभव घेरने का प्रयास किया जायेगा। भाजपा ने कहा है कि ज्वलंत मुद्दों पर सत्ताधारी दल को जवाब देने के लिये बाध्य किया जायेगा।

स्पीकर ट्रिब्यूनल ने दल-बदल कानून के तहत विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता समाप्त कर दी। यह आदेश आज से प्रभावी हो जायेगा। लोबिन के विरुद्ध झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और जेपी पटेल के खिलाफ भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बाउरी ने शिकायत की थी।

राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कल बैठक में रांची शहर में कोलकता महानगर की तर्ज पर ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। यातायात व्यवस्था के लिए गृह रक्षा वाहिनी से सहयोग के लिए निर्देश दिया गया।

पूर्वी सिंहभूम जिले के कई प्रखंडों में छत्तीस नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाये जायेंगे।

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट [news on air.gov.in](http://news.onair.gov.in) पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR news alerts और फेसबुक पेज All India Radio news पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news अंडर स्कोर_ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा YOUTUBE Channel AIR NEWS Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य एवं केंद्र सरकार से पूछा कि किन-किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और अबतक कितनों को धर्मांतरित किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत देश के 25 हजार युवाओं को शिक्षा और कौशल बढ़ाने के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

सरायकेला-टाटा और सरायकेला-खरसावां सड़क मार्ग पर कल शाम दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना सरायकेला-टाटा सड़क पर सीनी मोड़ के पास हुई, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दूसरी घटना सरायकेला-खरसावां मुख्य सड़क पर आकर्षणी मोड़ पर हुई, जहां दो बाइक के आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गयी।

अखबारों की सुर्खियां

रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने खदान और खनिज भूमि पर टैक्स संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबारों ने इन खबरों को भी प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से लिखा है – जलसंकट से बचाने के लिए राज्य सरकार दीर्घकालीन योजना बनाये।

हिन्दुस्तान की सुर्खी है- दल-बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण ने की कार्रवाई, लोबिन, जेपी की विधायकी खत्म।

दैनिक जागरण ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में लिखा है- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एनी डेस्क से बाहर भेजे गये थे प्रश्नपत्र और उत्तर।

दैनिक भास्कर ने आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है।

वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने खदान और खनिज भूमि पर टैक्स संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता दी है।
